



GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उपकार्यालय, जम्मू / Sub-office, Jammu,

Regional Office, Chandigarh

File No 9-JKC-069/2021-Jammu

जुलाई/July, 2023

सेवा में/To,

प्रधान सचिव /The Principal Secretary,
वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग /Department of Forest, Ecology & Environment,
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश /UT of Jammu & Kashmir,
सिविल सचिवालय /Civil Secretariat,
जम्मू और कश्मीर /Jammu & Kashmir (csforestjk@gmail.com)

विषय /Sub:**Diversion of 6.003 ha of forest land for re-routing of 400 KV S/C Dulhasti Kishenpur Transmission line at Drabshalla, District Kishtwar, U.T. of Jammu & Kashmir. (Online proposal no. FP/JK/TRANS/140816/2021)-reg.**

सन्दर्भ /Ref: i) UT Admin of J&K online proposal received on dated 10-08-2021
ii) In-principle approval dated 27-09-2021
iii) UT Admin of J&K File No. FST-Land0FC/65/2021-02 dated 04-07-2023

महोदय /Sir,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन 6.003 हेक्टेयर वन भूमि की गैर वानिकी कार्यों के लिए अनुमति मांगी गई थी। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 27-09-2021 के माध्यम से इस प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। नोडल अधिकारी ने पत्र संख्या FST-Land0FC/65/2021-02 दिनांक 04.07.2023 (E-mail) के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।

Please refer to the above cited subject and letters seeking prior approval of the Central government for the diversion of 6.003 ha of Forest land for non-forestry purpose in accordance with section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980. In-principle approval was accorded vide this office letter of even no. dated 27-09-2021. The Nodal Officer has submitted the compliance report of In-principle approval vide letter no. FST-Land0FC/65/2021-02 dated 04-07-2023.

2. जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 6.003 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग 400 केवी एस/सी दुलहस्ती किशनपुर ट्रांसमिशन लाइन की री-रूटिंग का कार्य करने के लिए विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

After careful examination of the proposal of the UT Administration of Jammu and Kashmir, approval is hereby conveyed to Power grid Corporation of India Limited Batote 6.003 ha of forest land for Re-routing of 400 KV S/C Dulhasti Kishenpur Transmission line to the above-mentioned proposal, subject to the following conditions:

- वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
Legal status of the forest land shall remain unchanged.

- ii. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाएगी।
Cost of compensatory afforestation as per CA schemes may be realized from the user agency.
- iii. जम्मू व कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश डायवर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र एवं Degraded वन क्षेत्र, जिस पर प्रतिपूरक वनीकरण प्रस्तावित है, की KML फाइलों को ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड करेगा।
The UT Govt. of Jammu and Kashmir shall upload the KML files of the degraded forest area accepted for raising compensatory afforestation as well as the forest area proposed for diversion in the extant proposal in the E-Green watch portal.
- iv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता के संदर्भ में वन भूमि में कोई मलबा नहीं डाला जाएगा।
No muck shall be dumped in the forest land in context of the undertaking submitted by User Agency.
- v. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता एजेंसी वन भूमि पर मलबा नहीं डालेगी।
The DFO shall ensure that user agency shall not dump muck on forest land.
- vi. प्रस्ताव में वर्णित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। The forest land will not be used for any other purpose than that mentioned in the proposal.
- vii. डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department, or persons without approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- viii. प्रस्ताव का ले-आउट प्लान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।
The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- ix. उपयोगकर्ता एजेंसी सात से दस वर्षों के रखरखाव के साथ आईआरसी विनिर्देश के अनुसार परियोजना लागत पर सड़क के दोनों किनारों और केंद्रीय किनारे पर पट्टी वृक्षारोपण करेगी।
The user agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road at the project cost as per IRC specification with maintenance of seven to ten years.
- x. निकटवर्ती वन भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
No damage will be done to the adjoining forest land.
- xi. वन भूमि पर कोई श्रम शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
No labour camp shall be established on the forest land.
- xii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार NPV में वृद्धि होने पर प्रयोक्ता एजेंसी एनपीवी की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी।
The user agency shall pay additional amount of NPV as and when increased on the order of Hon'ble Supreme Court.

- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी श्रमिकों और साइट पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिक रूप से वैकल्पिक ईंधन प्रदान करेगी ताकि आसपास के वन क्षेत्रों को किसी भी नुकसान और दबाव से बचाया जा सके। The User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- xiv. प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण **दिरदल दरबशाला, Compartment no. 17/ किशतवाड़, रेंज- किशतवाड़, किशतवाड़ वन प्रभाग, जिला-किशतवाड़** में किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over degraded forest land in **Dirdal Drabshalla, Compartment no. 17/Kishtwar, Range- Kishthwar, Kishthwar Forest Division, District Kishthwar** at the cost of the user agency. The Plantation shall be done within one year from the date of issue of approval. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
- xv. वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की गई निधियों में से अनुमोदित भूमि की सीमा पर अंतिम अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।
DFO shall ensure that compensatory afforestation will be done within one year from final approval over the extent of land as approved, out of the funds provided by the user agency.
- xvi. डायवर्जन वन भूमि की सीमा को संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार परियोजना लागत पर भूमि पर उपयुक्त रूप से सीमांकित किया जायेगा।
The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.
- xvii. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for execution of the project work.
- xviii. कोई अन्य शर्त जो वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के हित में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।
Any other condition that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may stipulate from the time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- xix. इस प्रस्ताव पर लागू पर्यावरणीय मंजूरी सहित अन्य सभी प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों/न्यायालय के फैसलों/निर्देशों आदि के तहत अन्य सभी पूर्व अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने की जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश/उपयोगकर्ता एजेंसी की होगी।
It will be the responsibility of the UT Administration/User Agency to obtain all other prior approvals/clearances under all other relevant Acts/Rules/ Court's rulings/instructions, etc. including environmental clearance, as applicable to this proposal.

3. उपरोक्त शर्तों में से किसी का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं होने पर मंत्रालय मंजूरी को रद्द/निलंबित कर सकता है। केंद्र शासित प्रदेश वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा।

I/48301/2023

The Ministry may revoke/suspend the clearance if implementation of any of the above conditions is not satisfactory. UT Administration shall ensure fulfilment of these conditions through forest department.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है/ This has approval of the competent authority.

आपका विश्वासभाजन /Yours faithfully,

हस्ता /Sd/-

(राजा राम सिंह/Raja Ram Singh)

उ.व.म.नि.(के.)/DIGF (Central)

उप कार्यालय, जम्मू /Sub-office, Jammu

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज, नई दिल्ली।/ The IGF(FC), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh, Aliganj, New Delhi (ramesh.pandey@nic.in).
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) / The Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF). केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर /UT of Jammu & Kashmir (pccfjkforest@gmail.com).
3. नोडल अफसर/The Nodal Officer (FCA), जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर /UT of Jammu & Kashmir (cffcajk1@gmail.com).
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कैम्पा) / The CEO, CAMPA, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर /UT of Jammu & Kashmir (jkcampacell@gmail.com).
5. वन मंडल अधिकारी किश्तवाड़ वन प्रभाग, शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर / The Divisional Forest Officer, Kishtwar Forest Division, UT of Jammu and Kashmir (dfokishtwar@gmail.com).
6. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बटोत /PowerGrid Corporation of India Limited Batote (dtsbatote@powergrid.co.in)